प्रेस विज्ञप्ति

1.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 04.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), ग्रेटर बॉम्बे के समक्ष तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है, जिसमें एचडीआईएल-पीएमसी बैंक घोटाले में धन शोधन के अपराध में 8 अतिरिक्त आरोपियों को शामिल किया गया है। यह घोटाला **महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कृषि भूमि के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण** से संबंधित है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने इस मामले में 25.07.2025 को आदेशिका जारी की है।

ईडी ने राकेश कुमार वधवान, सारंग वधवान, एचडीआईएल समूह के प्रमोटरों, जॉय थॉमस, वरयाम सिंह (पीएमसी बैंक के निदेशक) और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि एचडीआईएल और उसकी समूह कंपनियों ने बिना उचित दस्तावेज़ों और गिरवी के पीएमसी बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओडी) ऋण प्राप्त किए। ओवरड्राफ्ट की सीमा समय-समय पर बढ़ाई जाती रही ताकि उन्हें एनपीए में वर्गीकृत होने से बचाया जा सके, बल्कि बैंक ने ब्याज वाले हिस्से को पूंजीकृत करके ओवरड्राफ्ट की सीमा को उस सीमा तक बढ़ा दिया। इस तरह एचडीआईएल समूह के संबंधित खाते मानक बने रहे और इसलिए उन्हें कभी एनपीए घोषित नहीं किया गया। जाँच में यह भी पता चला कि आरबीआई और जमाकर्ताओं को धोखा देने के लिए एचडीआईएल समूह के 44 वास्तविक एनपीए ऋण खातों को 21,049 फर्जी खातों से बदलकर पीएमसी बैंक के ऋण खातों में जालसाजी और धोकाधड़ी की गई।

इससे पहले, ईडी ने मुख्य अभियोजन शिकायत 16.12.2019 को और दो पूरक अभियोजन शिकायतें क्रमशः 15.03.2022 और 23.05.2023 को दायर की थीं। वर्तमान तीसरी एसपीसी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कृषि भूमि के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण के माध्यम से अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल 8 अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ दायर की गई है। तीसरी एसपीसी में प्रस्तावित (लेकिन कभी क्रियान्वित नहीं हुई) विजयदुर्ग बंदरगाह परियोजना के लिए धन शोधन और कृषि भूमि अधिग्रहण में एचडीआईएल के प्रमोटरों की भूमिका का आरोप लगाया गया है।

अब तक, ईडी ने इस मामले में 772 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क/जब्त की है और कई अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। वर्तमान एसपीसी, मुकेश खड़पे के नेतृत्व वाले बेनामीदारों के माध्यम से सिंधुदुर्ग में भूमि अधिग्रहण के लिए एचडीआईएल खातों से धन के लेन-देन की पुष्टि करके मामले को और मजबूत करती है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।